न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–12/19–20

संध्यारानी गोराई, पति–स्व0 निमाई सुन्दर गोराई, सा0–कुमिरदाहा, अंचल–रानेश्वर

वनाम

विमलेन्दु गोराई, पिता–आधार चन्द्र गोराई, सा0– हकीकतपुर, अंचल–रानेश्वर

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

आदेश

7.7.2021

प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–12/19–20 श्रीमती संध्यारानी गोराई, पति–स्व0 निमाई सुन्दर गोराई, ग्राम–कुमीरदाहा, अंचल–रानेश्वर के द्वारा अंचल अधिकारी, रानेश्वर के नामान्तरण वाद संख्या–197आर0–27/18–19 में पारित आदेश दिनांक–27.03.2019 के विरुद्ध दायर किया गया है। जिसमें आवेदक के नामान्तरण आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

इस संबंध में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, रानेश्वर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रस्तुत नामान्तरण वाद में विपक्षी के द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

अंचल अधिकारी, रानेश्वर के पत्रांक–91/रा0, दिनांक–09.02.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका संध्यारानी गोराई, पति–स्व0 निमाई सुन्दर गोराई, मौजा– कुमीरदाहा ने नामान्तरण वाद संख्या–197/18–19 द्वारा दाखिल खारिज कराने हेतु आवेदन किया था जिसका आवेदित भूमि का विवरण निम्न है :–

क्र0	डीड सं0	दिनांक	मौजा	थाना सं0	जमाबंदी नं0	दाग नं0	डीड से प्राप्त अंश रकबा (डी0क0व0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1205	03.12.99	कुमीरदाहा	30	31	146	0–05–08
2	1205	03.12.99	कुमीरदाहा	30	67	126	0–11–08
3	1205	03.12.99	कुमीरदाहा	30	67	125	0–11–16
4	1205	03.12.99	कुमीरदाहा	30	108	147	0–12–15
5	1205	03.12.99	कुमीरदाहा	30	205	123	0–10–16

इस प्रकार उपरोक्त भूमि आवेदिका संध्यारानी गोराई, पति–स्व0 निमाई चन्द्र गोराई, मौजा–कुमीरदाहा ने निबंधन कार्यालय, दुमका द्वारा डीड सं0–1205, दिनांक–03.12.1999 के द्वारा विक्रेता दीनबंधु गोराई, पिता–आधार चन्द्र गोराई, ग्राम–हकीकतपुर से क्रय किया गया है। आवेदिका द्वारा नामांतरण हेतु आवेदित डीड सं0–1205, दिनांक–03.12.99 के अन्तर्गत दाग सं0–146, 126, 125, 147 एवं 123 अंकित है। परंतु डीड में जमाबंदी नं0 उल्लेख नहीं है। जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्णित दाग अलग–अलग रैयतों से संबंधित है। परंतु डीड के अनुसार विक्रेता एक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

है। आवेदिका से पीठ दलील (लिंक डीड) की मांग की गई। लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण जमाबंदी रैयत से विक्रेता का संबंध अस्पष्ट एवं संध्याहास्पद है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा अपूर्ण दस्तावेज के कारण नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना। अभिलेख में संलग्न दस्तावेज, उपरोक्त विवेचन, अपीलकर्ता के आवेदन एवं अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदिका संध्यारानी गोराई, पति–स्व0 निमाई चन्द्र गोराई, मौजा–कुमीरदाहा ने निबंधन कार्यालय, दुमका द्वारा डीड सं0–1205, दिनांक–03.12.99 के द्वारा विक्रेता दीनबंधु गोराई, पिता–आधार चन्द्र गोराई, ग्राम–हकीकतपुर से उपर वर्णित भूमि क्रय किया है। परंतु अंचल अधिकारी, रानेश्वर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित दाग अलग–अलग रैयतों से संबंधित है। परंतु डीड के अनुसार विक्रेता एक है। आवेदिका द्वारा पीठ दलील (लिंक डीड) भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण जमाबंदी रैयत से विक्रेता का संबंध अस्पष्ट एवं संध्याहास्पद है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका को आदेश दिया जाता है कि वे अपना नामान्तरण से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज अंचल कार्यालय, रानेश्वर में जमा करें ताकि अंचल अधिकारी, रानेश्वर द्वारा सम्पूर्ण कागजातों के गहण छानबीन के पश्चात् नियमानुसार दाखिल खारिज किया जा सके।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.06 12:25:10 +05:30
Location: 192.168.1.112